



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक- 23.11.2024

विषय- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त शेखर कुमार को पॉक्सो के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 07 वर्ष के कारावास व कुल 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 339/2017 धारा- 363, 366, 376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शेखर कुमार पुत्र फूलचन्द कुमार निवासी- सीरगोवर्धन, थाना-लंका, वाराणसी को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23.11.2024, को मा0 न्यायालय विशेष न्याया0 पॉक्सो – II द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त शेखर कुमार उपरोक्त को धारा-363 व धारा- ¾ पॉक्सो के अन्तर्गत अधिकतम 07 वर्ष के कारावास व कुल 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन
कमिश्नरेंट वाराणसी ।